छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष : 2018-19

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

क्रीड़ा अभ्यास करती हुई एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राएँ

तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए क्रीड़ा परिसर के छात्र

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम	-	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
भार साधक मंत्री	-	माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

मंत्रालय

सचिव	-	श्री डी.डी. सिंह
संयुक्त सचिव	-	श्री डी.डी. कुंजाम
संयुक्त सचिव	-	श्री एम. एम. मिंज
वित्तीय सलाहकार	-	श्री तिलक कुमार सोरी

संचालनालय

आयुक्त	-	श्री डी.डी. सिंह आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
संचालक	-	श्री एलेक्स पॉल मेनन

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI), रायपुर

संचालक	-	श्री आशीष कुमार भट्ट

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग-एक	
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2-3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4
4	विभाग के अधीन गठित आयोग / मण्डल एवं अन्य समितियाँ	5-7
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	8-10
	भाग-दो	
6	विभागीय बजट 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19	12
	(सितम्बर 2018 की स्थिति में)	
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19	13-18
	भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	
	भाग-तीन	
8	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ	20-62
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	63-64
10	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	65-68
11	अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना	69-70
	भाग-चार	
12	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	73-75
13	आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	76-78
	भाग-पांच	
14	फ्लैगशिप योजनाएं	81-90
	भाग-छः	
15	सारांश	93-94

भाग – एक

छत्तीसगढ़ का मानचित्र

विभाग की संरचना

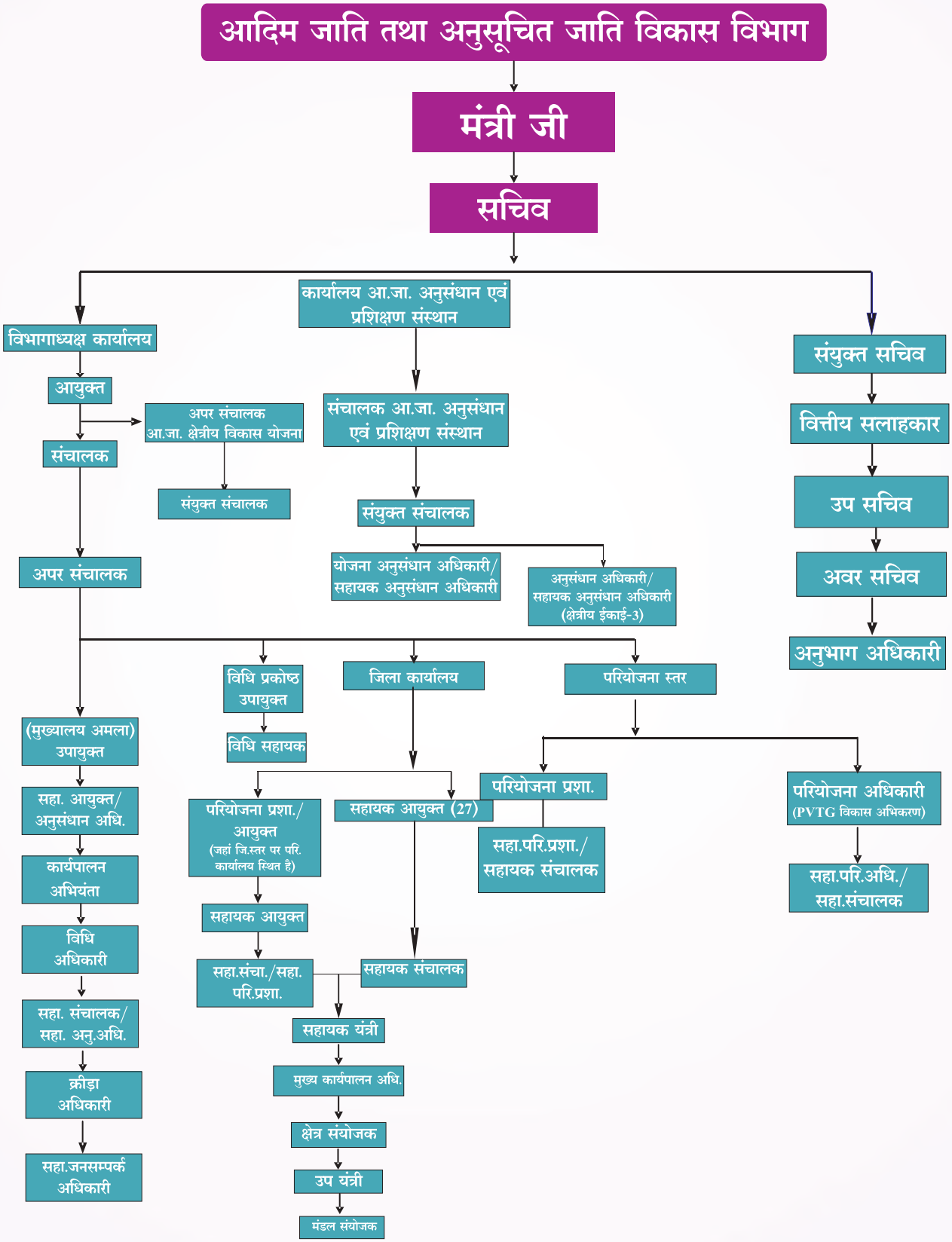
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्री जी
सचिव
विभागाध्यक्ष कार्यालय
आयुक्त
संचालक
अपर संचालक
(मुख्यालय अमला)
उपायुक्त
सहा. आयुक्त/
अनुसंधान अधि.
कार्यपालन
अभियंता
विधि
अधिकारी
सहा. संचालक/
सहा. अनु.अधि.
क्रीड़ा
अधिकारी
सहा.जनसम्पर्क
अधिकारी
अपर संचालक
आ.जा. क्षेत्रीय विकास योजना
संयुक्त संचालक
कार्यालय आ.जा. अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान
संचालक आ.जा. अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान
संयुक्त संचालक
योजना अनुसंधान अधिकारी/
सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी/
सहायक अनुसंधान अधिकारी
(क्षेत्रीय ईकाई-3)
संयुक्त सचिव
वित्तीय सलाहकार
उप सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी
विधि प्रकोष्ठ
उपायुक्त
विधि सहायक
जिला कार्यालय
परियोजना प्रशा./
आयुक्त
(जहां जि.स्तर पर परि.
कार्यालय स्थित है)
सहायक आयुक्त
सहा.संचा./सहा.
परि.प्रशा.
सहायक आयुक्त (27)
सहायक संचालक
सहायक यंत्री
मुख्य कार्यपालन अधि.
क्षेत्र संयोजक
उप यंत्री
मंडल संयोजक
परियोजना स्तर
परियोजना प्रशा.
सहा.परि.प्रशा./
सहायक संचालक
परियोजना अधिकारी
(PVTG विकास अभिकरण)
सहा.परि.अधि./
सहा.संचालक

विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद-46, में सौंपे गए कर्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद-244 एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास-यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन-प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किए जाने है।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए भी है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं सचिव का पद सृजित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

मंत्रालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त/संचालक होते हैं। आयुक्त/संचालक मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकास खण्ड आदिवासी विकास खण्ड घोषित हैं। इन विकास खण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 विशेष जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

---------*---------

विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन कर नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैधानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियां

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते है। साथ ही इस परिषद का सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र0/एफ-20-2/2009/25-2 नया रायपुर दिनांक-27 जून 2014 के द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली 2006 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ0ग0 राज्य के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे। वर्तमान में जनजाति सलाहकार परिषद् के पुनर्गठन की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2016 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 17.10.2016 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 24 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 01.07.2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2018 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 66 बैठकें आयोजित की गई है।

3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री जी.आर. राना दिनांक 07.07.2016 से मनोनीत हैं एवं दो सदस्य पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 187.20 लाख है, प्रावधानित राशि में से राशि रुपए 187.20 लाख आयोग को जारी की जा चुकी है।

4. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा-3(2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य का पद स्वीकृत है। जिसमें अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह कैम्बो को नियुक्त किया गया है तथा दो सदस्यों का

मनोनयन किया गया है। वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रु. 233.90 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 204.70 लाख जारी की जा चुकी है।

5. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों की सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार गठित किया गया वर्तमान में इसमें अध्यक्ष पद पर डॉ. श्री सियाराम साहू एवं अन्य 06 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 169.70 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 169.60 लाख जारी की जा चुकी है।

6. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रामजी भारती दिनांक 28.06.2016 से पदस्थ हैं एवं दो अन्य सदस्य पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 210.30 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रूपए 199.00 लाख जारी की जा चुकी है।

7. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम :-

राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अंत्यावसायी सहाकारी वित्त एवं विकास निगम संचालित है। प्रदेश के सभी जिलों में निगम की जिला इकाइयाँ कार्यरत हैं।

8. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज समिति गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था, हज यात्रियों के आवेदन पत्र प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर माननीय श्री सैय्यद सैफुद्दीन बबलु तथा 12 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 120.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 48.00 लाख जारी की जा चुकी है।

9. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम-1995 के तहत् निर्देशों का पालन, मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष पद पर माननीय मोहम्मद सलीम अशरफी एवं 07 सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 120.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 84.00 लाख का आबंटन जारी की जा चुका है।

10. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया। अकादमी का कार्य छ.ग. में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को माली मदद करना आदि हैं। जनाब मो. अकरम कुरैशी अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हैं एवं 16 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 200.00 लाख प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 140.00 लाख आबंटन जारी किया जा चुका है।

11. वक्फ अधिकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है, पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना कर ली गई है। वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पद पर माननीय श्री प्रबोद टोप्पो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पदस्थ है एवं एक सदस्य का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 90.90 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 62.14 लाख का आबंटन जारी किया जा चुका है।

12. विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण :-

छ.ग. राज्य में निवासरत् 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रदेश स्तर पर 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। अभिकरण स्तर पर गवर्निंग बाडी गठित है। जिसका अध्यक्ष संबंधित विशेष पिछड़ी जनजाति का सदस्य शासन द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ये जनजातियाँ राज्य के रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, महासमुंद, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, नारायणपुर जिलों में निवासरत है। राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पंडो तथा भुंजिया के समग्र विकास हेतु क्रमशः पंडो विकास अभिकरण, जिला सूरजपुर तथा भुंजिया विकास अभिकरण जिला गरियाबंद में गठित है।

13. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिणिक संस्थान समिति गठित है। मान. विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष एवं आयुक्त आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग इसके पदेन सचिव होते हैं।

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	**राज्य का क्षेत्रफल**		135192 वर्ग कि.मी.
	1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्गकिमी.
	1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	88000 वर्गकिमी.
	1.3	राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12
2.	**जनगणना (2011)**		
	2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
	2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
	2.3	अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3.	**(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)**		
	3.1	औसत	70.28%
	3.2	पुरुष	80.27%
	3.3	महिला	60.24%
3.	**(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)**		
	3.1	औसत	59.09
	3.2	पुरुष	69.67
	3.3	महिला	48.76
3.	**(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)**		
	3.1	औसत	70.76
	3.2	पुरुष	81.66
	3.3	महिला	59.86
4.	**राजस्व जिला**		27
	4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर।	13
	4.2	आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र में शामिल शेष जिले गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम	11

5.	आदिवासी विकासखंड	85
6.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	19
7	माडा पाकेट	09
8.	लघु अंचल	02
9.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अभिकरण	06
10.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह प्रकोष्ठ	09

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दो, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के मरवाही, गौरेला-1 एवं गौरेला-2 आदिवासी विकास खण्ड सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1.	बस्तर	1. जगदलपुर		
2.	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3.	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4.	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5.	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6.	सुकमा	6. कोन्टा		
7.	बीजापुर	7. बीजापुर		
8.	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9.	बलौदाबाजार		1. बालौदाबाजार	1. धुरीबंधा
10.	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11.	महासमुंद		3. महासमुंद–1 4. महासमुंद–2	
12.	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13.	राजनांदगांव	11. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
14.	कबीरधाम		6. कबीरधाम	
15.	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16.	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17.	बलरामपुर	14. पाल		
18.	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19.	कोरबा	16. कोरबा		
20.	बिलासपुर	17. गौरेला		
21.	मुंगेली			
22.	जांजगीर–चांपा		7. रूगजा	
23.	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर, 9. सारंगढ़	
24.	जशपुर	19. जशपुरनगर		

भाग – दो

विभागीय बजट

विभागीय बजट (2016–17)

(राशि लाखो में)

कमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	125343.15	91403.51	72.92
2	अनुसचित जाति उपयोजना	32967.07	25437.93	77.16
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	21074.19	19425.72	92.18
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	31567.29	23851.56	75.56
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	3499.88	2806.11	80.18
	योग:–	**214451.58**	**162924.83**	**75.97**

विभागीय बजट (2017–18)

(राशि लाखो में)

कमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	141777.59	102373.77	72.21
2	अनुसचित जाति उपयोजना	32752.77	25452.03	77.71
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	15459.30	11855.10	76.69
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	12330.85	9790.61	79.40
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	150.20	142.70	95.01
	योग:–	**202470.71**	**149614.21**	**73.89**

विभागीय बजट (2018–19) सितम्बर 2018 की स्थिति में

(राशि लाखो में)

कमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	154089.30	32646.70	21.19
2	अनुसचित जाति उपयोजना	38037.92	7558.87	19.87
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	17431.50	5588.96	32.06
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14370.30	4755.92	33.10
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	210.30	71.49	33.99
	योग:–	**224139.32**	**50621.94**	**22.59**

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाखो में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17				वर्ष 2017–18				वर्ष 2018–19			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	20993.31	6588.61	छात्र/छात्राएं	73823	-	7072.00	छात्र/छात्राएं	74699	-	5759.54	छात्र/छात्राएं	73007
2	छात्रावास योजना	21399.24	5448.98	छात्र/छात्राएं	61427	-	5750.00	छात्र/छात्राएं	63489	-	4922.06	छात्र/छात्राएं	62940
3	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1322.41	1322.40	नियमित 11 संस्था	नियमित 11 संस्था	1500.00	1000.40	नियमित 10 संस्था	नियमित 10 संस्था	1500.00	647.65	नियमित 10 संख्या	नियमित 10 संख्या
4	विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन	2423.55	1544.75	छात्र/छात्राएं	5644	1004.50	757.49	छात्र/छात्राएं	5953				
5	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	925.00	207.01	छात्र/छात्राएं	741	1000.00	791.50	छात्र/छात्राएं	563	1000.00	340.70	छात्र/छात्राएं	638
6	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	10900.00	1276.05	476 कार्य	34 कार्य	7900.00	7880.00	147	108	8000.00	7600.31	100	0
7	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान	9.00	4.50	व्यक्ति/संस्था	2 पुरुस्कार	9.00	5.00	व्यक्ति/संस्था	2 पुरस्कार	9.00	-	व्यक्ति/संख्या	–
8	छात्र भोजन सहाय योजना	865.30	779.76	छात्र/छात्राएं	14615	900.00	853.47	छात्र/छात्राएं	16580	925.00	835.95	छात्र/छात्राएं	15463
9	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	175.00	175.00	छात्र/छात्राएं	27740	100.00	100.00	छात्र/छात्राएं	18445	120.00	102.65	छात्र/छात्राएं	15463
10	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	1749.00	1749.00	छात्र/छात्राएं	178190	1800.00	1800.00	छात्र/छात्राएं	165106	1800.00	1620.0	छात्र/छात्राएं	151410
11	युवा कैरियर निर्माण योजना	458.60	121.20	छात्र/छात्राएं	215	324.00	313.99	छात्र/छात्राएं	204	337.00	272.10	छात्र/छात्राएं	271
12	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	1223.47	823.19	छात्र/छात्राएं	2071	1516.90	1343.43	छात्र/छात्राएं	2376	2865.80	1080.30	छात्र/छात्राएं	33320
13	आर्यभट्ट वाणिजय/विज्ञान विकास केन्द्र	125.00	101.00	छात्राएं	384	198.00	150.90	छात्र/छात्राएं	514	198.00	145.60	छात्र/छात्राएं	492

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जाति)

(राशि लाखो में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17				वर्ष 2017–18				वर्ष 2018–19			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	1558.85	272.70	छात्र/छात्राएं	3044	-	297.67	छात्र/छात्राएं	3150		247.43	छात्र/छात्राएं	3250
2	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	123.56	123.56	नियमित 01 संस्था	नियमित 01 संस्था	125.00	95.90	नियमित 01 संस्था	नियमित 01 संस्था	135.50	100.30	नियमित 1 संस्था	नियमित संस्था
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2550.00	2550.00	छात्र/छात्राएं	88875	4967.25	4967.25	छात्र/छात्राएं	143890	3920.00	2744.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	50.00	50.00	छात्र/छात्राएं	6042	50.00	50.00	छात्र/छात्राएं	6200	50.00	45.00	छात्र/छात्राएं	4937
5	छात्रावास योजना	7303.23	1322.54	छात्र/छात्राएं	14190	-	1367.88	छात्र/छात्राएं	14509		1138.1	छात्र/छात्राएं	14496
6	छात्र भोजन सहाय योजना	269.00	244.27	छात्र/छात्राएं	4640	282.00	257.36	छात्र/छात्राएं	5013	278.00	258.00	छात्र/छात्राएं	4937
7	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	320.00	320.00	छात्र/छात्राएं	320	400	386.57	छात्र/छात्राएं	322	400.00	179.83	छात्र/छात्राएं	334
8	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	249.00	249.00	छात्र/छात्राएं	25241	261.00	261.00	छात्र/छात्राएं	25245	261.00	235.00	छात्र/छात्राएं	22683
9	युवा कैरियर निर्माण योजना	161.90	161.90	छात्र/छात्राएं	130	61.50	61.50	छात्र/छात्राएं	105	56.50	33.90	छात्र/छात्राएं	162

अन्य पिछड़ा वर्ग

(राशि लाखो में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17				वर्ष 2017–18				वर्ष 2018–19			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	15000.00	15000.00	छात्र/छात्राएं	267152	7582.75	7582.75	छात्र/छात्राएं	284483	11280.00	7896.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	युवा कैरियर निर्माण योजना	-	-	-	-	84.30	84.30	छात्र/छात्राएं	70	85.30	51.18	छात्र/छात्राएं	110

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाखो में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17						वर्ष 2017–18						वर्ष 2018–19					
		योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	स्वरोजगार	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास	1600.00	1699.20	716.16	हितग्राही	2009	-	2000.00	930.00	1534.00	हितग्राही	3604		2000.00	–	1527.03	–	803
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि		2156.80		2156.80	निर्माण कार्य	468	-	2000.00	5877.00	647.97	निर्माण कार्य	88		7877.00	–	3745.97	–	644
3	नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रचार प्रसार	अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना	56.75	274.97	8.40	.	.		98.18	507.12	3.56	.	.		24.80		3.02	–	–
4	अपृश्यता निवार्णार्थ आयोजन		25.00		11.10	शिविर	20		25.00		12.02	शिविर	16		25.00		3.18	–	6
5	अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुर्नवार		445.00		611.55	हितग्राही	745		695.00		1003.76	हितग्राही	1211		845.00		592.46	–	592
6	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	.	80.00		69.25	दंपत्ति	142		146.00		122.00	दंपत्ति	205		85.00		97.50	–	91
7	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (64)	बाबू जगजीवन राव छात्रावास योजना	150.00	0.00	0.00	.	.	-	0.00	0.00	-	.	.	–	0.00		–	–	–
8	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (41/4202) एकीकृत अम्ब्रेला योजना	अम्ब्रेला योजना	1200.00	0.00	0.00	.	.	-	-	0.00	-	.	.	–	0.00		–	–	–
9	आदिवासी संस्कृति का सवर्धन एवं विकास	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	1.00	0.00	0.00	.	.	-	-	-	-	.	.				–	–	–
10	छात्रावास भवन निर्माण (66/4225)		0.00	0.00	0.00	0.00	.	-	.	0.00	-	.	.		0.00		–	–	–
11	अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय विकास	.	1414.00	771.94	771.94	जिला जशपुर	5 वि.ख.		1389.00	324.12	540.19	.	5 वि.ख.		1389.00		–	–	–
12	प्रधानमंत्रीय आदर्श ग्राम योजना	.	4100.00	2075.00	3650.00	75 ग्राम	75 ग्राम		4100.00	375.00	375.00	.	75 ग्राम		4100.00		–	–	–

आदिवासी उपयोजना - बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

कमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
1	वर्ष 2016–17	1253.43	914.03
2	वर्ष 2017–18	1417.78	1023.74
3	वर्ष 2018–19 (माह–सितम्बर 2018 की स्थिति में)	1540.89	326.46
	योग:–	**4212.10**	**2264.23**

अनुसूचित जाति उपयोजना - बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

कमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
1	वर्ष 2016–17	329.67	254.38
2	वर्ष 2017–18	327.53	254.52
3	वर्ष 2018–19 (माह–सितम्बर 2018 की स्थिति में)	380.38	75.59
	योग:–	**1037.58**	**584.49**

(स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17					वर्ष 2017–18					वर्ष 2018–19				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	17477.20	11717.82	11717.82	1918	1918	25208.70	14327.57	12435.4	713	610	23000.00	10242.5	6299.49	80	50

विशेष केन्द्रीय सहायता (अनु. जाति उपयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17					वर्ष 2017–18					वर्ष 2018–19				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	स्वरोजगार	1600.00	1699.20	716.16	हितग्राही	2009	2000.00	930.00	-	हितग्राही	-	-	-	-	-	-
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि	1890.00		1860.00	निर्माण कार्य	468	2000.00		568.15	निर्माण कार्य	88	-	-	-	-	-
		3490.00		2576.16			4000.00		-		-	-	-	-	-	-

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

(राशि लाखो में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17					वर्ष 2017–18					वर्ष 2018–19				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (अनु.ज.जा.)	4975.179	4975.179	4975.179	छात्र/छात्राएं	132963	4400.00	4400.00	4400.00	छात्र/छात्राएं	143890	4800.00	4800.00	4800.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु.जा.)	2615.42	190.00	190.00	छात्र/छात्राएं	88875	2600.00	2600.00	2600.00	छात्र/छात्राएं	95116	1302.02	1302.02	1302.02	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.पि.व.)	2623.35	2623.35	2623.35	छात्र/छात्राएं	267152	1766.00	1766.00	1766.00	छात्र/छात्राएं	284483	1600.00	516.26	516.26	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
4	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.00	0.00	107.00	छात्र/छात्राएं	2001	1.00	0.00	117.00	छात्र/छात्राएं	2137	10.00	0.00	कार्यवाही प्रकियाधीन	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
5	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	-	-	-	छात्र/छात्राएं	–	-	-	.	.	.					–
6	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	2750.00	1230.00	1230.00	कार्य संख्या	21 कार्य	2750.00	1089.50	1089.50	कार्य संख्या	08 कार्य	2750.00	736.05	735.10	कार्य संख्या	05 कार्य
7	वनबंधु कल्याण योजना	2135.00	अप्राप्त	-	–	–	1278.00	अप्राप्त	–	–	–	1062.00	अप्राप्त	–	–	–
8	अनुसूचित जाति छात्रों को प्रावीण्य में उन्नयन	-	-	-	.	.	-	-	.	.	.					–
9	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	7.00	0.00	148.00	छात्र/छात्राएं	565	7.00	0.00	130.00	छात्र/छात्राएं	497	8.00	0.00	कार्यवाही प्रकियाधीन	छात्र/छात्राएं	कार्यवाही प्रकियाधीन
10	अल्पसंख्यक प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.00	0.00	159.00	छात्र/छात्राएं	7329	0.00	0.00	206.00	छात्र/छात्राएं	7673	11.00	0.00	कार्यवाही प्रकियाधीन	छात्र/छात्राएं	कार्यवाही प्रकियाधीन

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाखो में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17					वर्ष 2017–18					वर्ष 2018–19				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान 275(1)	3901.88	1756.02	1756.02	16	4142	4459.88	1756.02	1756.02	25	5302	4289.00	2778.00	2226.84	25	6372
2	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)	11064.90	7772.95	7772.95	93	निर्माणाधीन	14210.64	9113.50	9113.50	29	निर्माणाधीन	12000.000	3048.66	3048.66	65	निर्माणाधीन

भाग – तीन

विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- विभागीय छात्रावासों का संचालन (21)
- विभागीय आश्रमों का संचालन (22-23)
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (24-28)
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (28-33)
- आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (33)
- छात्र भोजन सहाय योजना (33-34)
- छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना (34)
- स्वस्थ तन-स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना (34)
- एकलव्य आवासीय विद्यालय/विशिष्ट विद्यालय (34-37)
- क्रीड़ा परिसर (37-38)
- अशासकीय संस्थाओं को अनुदान (38)
- स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान (39)
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा (39)
- हॉस्पिटैलिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना (39-40)
- अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना (40)
- रविदास चर्मशिल्प योजना (41)
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 अंतर्गत राहत योजना (41-57)
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (58)
- अनु.जाति/अनु.जनजाति राहत योजना (58)
- मैनुअल स्केवेंजर्स एक्ट का क्रियान्वयन (59)
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (59)
- सम्मान एवं पुरस्कार (59-60)
- लोककला महोत्सव (60)
- आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना (61)
- जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास (61-62)
- युवा कॅरियर निर्माण योजना एवं ट्रॉयबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली (81-82)
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (83-85)
- आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना (85-87)
- वनबंधु कल्याण योजना (87)
- PVTG हेतु मुख्यमंत्री ग्यारह सूत्री कार्यक्रम (88-90)
- मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (90)

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2018-19 की स्थिति में
छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री.मैट्रिक	पो.मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	अनुसूचित जनजाति	1292	302	1175	**2769**	**165106**
2	अनुसूचित जाति	341	90	51	**482**	**25707**
3	अन्य पिछड़े वर्ग	8	19	0	**27**	**1450**
योग		**1641**	**411**	**1226**	**3278**	**192263**

अनुसूचित जनजाति छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2018-19

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री मैट्रिक	887	405	**1292**	43059	23434	**66493**
2	पोस्ट मैट्रिक	147	155	**302**	9015	9430	**18445**
योग		**1034**	**560**	**1594**	**52074**	**32864**	**84938**

अनुसूचित जाति छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2018-19

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री मैट्रिक	197	144	**341**	9076	7466	**16542**
2	पोस्ट मैट्रिक	48	42	**90**	3000	2410	**5410**
योग		**245**	**186**	**431**	**12076**	**9876**	**21952**

नोट :- **प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रू. 850/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 900/- प्रतिमाह की दर से वर्ष 2018-19 से शिष्यवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।**

अनुसूचित जनजाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2018-19

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	33	50	**83**	3500	8160	**11660**
2	प्राथमिक आश्रम	681	411	**1092**	43758	24750	**68508**
योग		**714**	**461**	**1175**	**47258**	**32910**	**80168**

अनुसूचित जाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2018-19

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	1	2	3	50	800	850
2	प्राथमिक आश्रम	25	23	48	1455	1450	2905
योग		**26**	**25**	**51**	**1505**	**2250**	**3755**

पिछड़ा वर्ग छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2018-19

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	पोस्ट मैट्रिक	08	11	19	400	650	1050
2	प्री मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
योग		**11**	**16**	**27**	**550**	**900**	**1450**

आदर्श छात्रावास, नारायणपुर

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

1. शैक्षणिक गतिविधियाँ :-शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय जानकारी

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :-

संस्था का नाम	संख्या	प्रवेशित छात्र/छात्रा संख्या
गुरुकुल विद्यालय (आवासीय)	1	220
खेल परिसर (आवासीय)	16	1437
आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय	25	6372
कुल योग	**42**	**8029**

ऑन-लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.mpsc.mp.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को **'शिक्षा संगी कार्ड'** आबंटित किए गए थे। उक्त कार्ड में छात्रवृत्ति की राशि जमा होने की सूचना विद्यार्थियों को मोबाईल पर SMS से दी जाती थी। उक्त कार्ड का वितरण शिक्षा–सत्र 2012–13 से 2014–15 तक किया गया था। उक्त कार्ड की आधार नंबर से सीडिंग संभव नहीं होने के कारण पर वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कक्षा 12वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य पूर्व की भांति विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में 4.88 लाख विद्यार्थियों को लगभग 207.78 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में कुल 5.23 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 215.83 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2018–19 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

SC Post Matric scholarship			ST Post Matric scholarship			OBC Post Matric scholarship		
year	Students	Amount (in lakhs)	year	Students	Amount (in lakhs)	year	Students	Amount (in lakhs)
2015-16	87144	5038.64	2015-16	127729	6203.10	2015-16	246443	9283.00
2016-17	88875	5040.00	2016-17	132963	6348.51	2016-17	267152	9489.38
2017-18	95116	5203.85	2017-18	143890	6749.52	2017-18	284483	9629.51

SC Post Matric scholarship (Students)

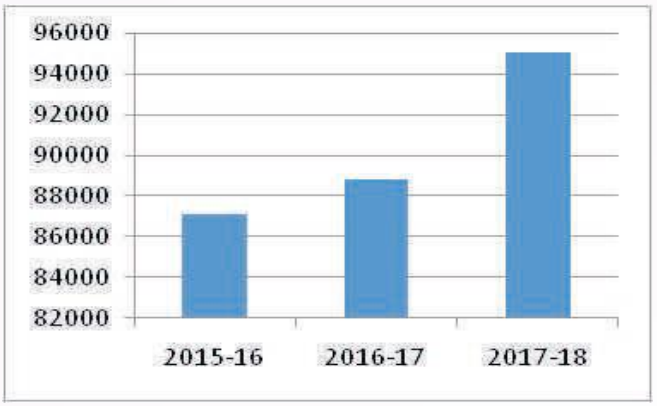

SC Post Matric scholarship (Amounts in lakh)

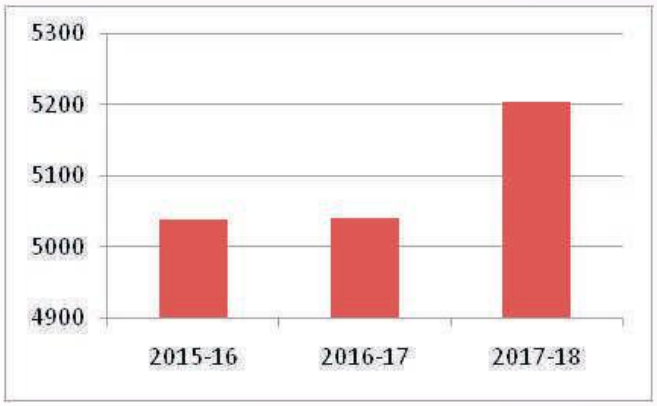

ST Post Matric scholarship (Students)

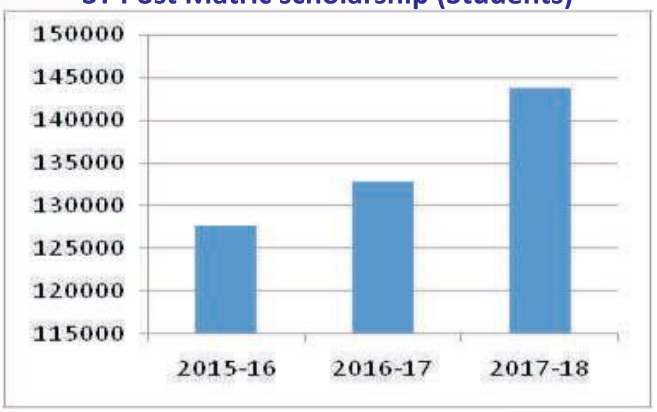

ST Post Matric scholarship (Amounts in lakh)

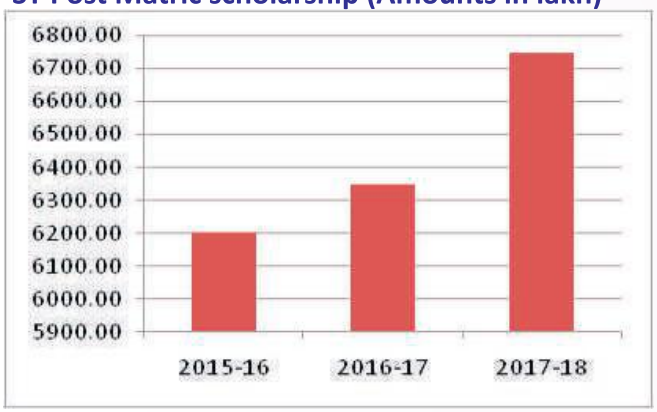

OBC Post Matric scholarship (Students)

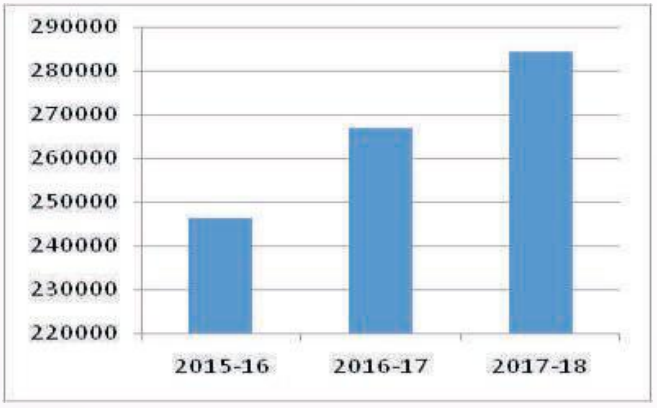

OBC Post Matric scholarship (Amounts in lakh)

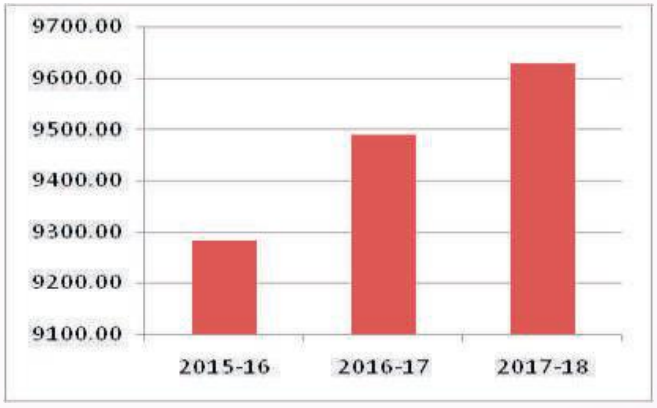

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)

- आय-सीमा- रू. 2.50 लाख तक वार्षिक।
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह - 1 - (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550	1200	550

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह - 2 - (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिग (बी.नर्सिंग), एल.एल. बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रैवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे-बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम. कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530	820	530
समूह - 3 - स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे-बी.ए., बी.एस.सी.,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300	570	300
समूह - 4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (अन्य पिछड़ा वर्ग)

- आय-सीमा- रू. 1,00,000/- तक वार्षिक।
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ-मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ-डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ-सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई-सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स-कक्षा-11 वीं		100	110	50	60
कक्षा-12 वीं		100	110	55	70

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ है :–

1. मैट्रिक पूर्व (प्री0 मैट्रिक) छात्रवृत्ति

2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति

3. मेरिट सह साधन आधरित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य के अल्पसंख्यक समुदायवार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है । अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है ।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है । लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है । नवीनीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं की जाती है ।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

1.मैट्रिक पूर्व (प्री0 मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है । यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि वहन किया जाता है ।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :–

क्रमांक	विवरण		छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)	रिमार्क
1	कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण-पोषण भत्ता)		–	100/- प्रतिमाह	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/- प्रतिवर्ष	500/- प्रतिवर्ष	
		शिक्षण शुल्क	350/- प्रतिमाह	350/- प्रतिमाह	
		भरण पोषण भत्ता	600/- प्रतिमाह	100/- प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1ली को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है।

आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट **www.scholarships.gov.in** में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2017-18	लक्ष्य (नवीन)		6345	6212	1078	1011	869	14	15529
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा 7673 विद्यार्थियों को राशि रूपये 206.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी के माध्यम से वितरीत की गई है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2018-19	लक्ष्य (नवीन)		6607	6293	898	904	789	0	15529
	उपलब्धि	नवीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

2.मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत्/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है, प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्रं.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर	रिमार्क
1	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000/- प्रतिवर्ष	7,000/- प्रतिवर्ष	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो
2	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/- प्रतिवर्ष	10,000/- प्रतिवर्ष	
3	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000/- प्रतिवर्ष	3,000/- प्रतिवर्ष	
4	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) 1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/- प्रतिमाह	230/- प्रतिमाह	
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570/- प्रतिमाह	300/- प्रतिमाह	
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/- प्रतिमाह	550/- प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. जिन्होनें पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों।
2. जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1 यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।

2 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।

4. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
5. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
6. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2017-18	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	02	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा 2137 विद्यार्थियों को राशि रूपये 117.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी के माध्यम से वितरीत की गई है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2018-19	लक्ष्य (नवीन)		1101	1049	150	151	132	0	2583
	उपलब्धि	नवीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल हैं, इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।), में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती है :-

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रू. 1000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/-	रू. 500/- प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/-
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रू. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/- वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

पात्रता :-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनके हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हों।
3. जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।

उपबंध :-

1. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
2. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
3. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भ्भारत सरकार की वेबसाईट **www.scholarships.gov.in** में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य / उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2017–18	लक्ष्य (नवीन)		127	124	22	20	17	0	310
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है । वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के द्वारा 497 विद्यार्थियों को राशि रूपये 130.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरीत की गई है ।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2018–19	लक्ष्य (नवीन)		132	126	18	18	16	0	310
	उपलब्धि	नवीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।						
		नवीनीकरण							
		योग							

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना :–

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं में महंगी फीस के कारण प्रतिभावन गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं में 100 अनुसूचित जनजाति एवं 50 अनुसूचित जाति तथा 9 वीं के 30 अनुसूचित जनजाति एवं 20 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ट पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2018-19 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 182 तथा नवीनीकरण के तहत विद्यार्थियों की संख्या 791 है। इस प्रकार कुल 973 विद्यार्थी अध्यनरत् है। इस हेतु कुल बजट प्रावधान 1400.00 लाख का है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनांतर्गत विगत तीन वर्षो की जानकारी :-

क्रं.	वर्ष	बजट प्रावधान राशि लाख में	विद्यार्थियों की संख्या		
			नवीन प्रवेशित	नवीनीकरण	योग
1	2013-14	1011.74	145	986	1131
2	2014-15	1220.00	186	1059	1245
3	2015-16	1245.00	82	1086	1168
4	2016-17	1245.00	244	719	963
5	2017-18	1400.00	175	824	999
6	2018-19	1400.00	182	791	973

छात्र भोजन सहाय योजना :–

भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र

भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है । अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।

- इसके अंतर्गत वर्ष 2015–16 में प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 500/– रूपए उपलब्ध कराया जाता है । यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है । योजना के तहत् वर्ष 2018–19 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जाति	278.00	5410
अनुसूचित जनजाति	925.00	18445
अन्य पिछड़ा वर्ग	53.00	1050
योग –	**1256.00**	**24855**

छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे- गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके, विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडो पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2018-19 में इस हेतु 170.00 लाख प्रावधानित है । इससे लगभग 25000 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। वर्ष 2018-19 में लगभग 86000 छात्र-छात्राएं लाभांवित हो रहे हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय :-

राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त राशि से यह योजना संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए है। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ.ग. बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु राशि रूपये 4169.70 लाख का बजट प्रावधानित किया गया है।

वर्तमान में 02 कन्या तथा 06 बालक एवं 17 संयुक्त इस प्रकार कुल 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 2018-19 में 3942 बालक एवं 2430 बालिकाएं, इस प्रकार कुल 6372 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

क.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत संख्या	प्रवेशित विद्यार्थीयों की संख्या		योग
			बालक	बालिका	
1	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मैनपाठ, जिला– सरगुजा	420	355	–	355
2	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,शिवप्रसाद, जिला–सूरजपुर	420	394	–	394
3	बालक एकलव्य आदर्श आवासीस विद्यालय, छोटेमुडपारा, जिला–रायगढ़	420	365	–	365
4	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तरेगॉव जंगल, जिला–कबीरधाम	420	350	–	350
5	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, करपावण्ड, जिला–जगदलपुर	420	420	–	420
6	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अंतागढ़, जिला–कांकेर	420	395	–	395
7	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सन्ना, जिला–जशपुर	420	–	409	409
8	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जावंगा (कटेकल्याण), जिला–दंतेवाड़ा	420	–	355	355
9	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेण्ड्री, जिला–राजनांदगांव	420	197	202	399
10	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पोडीडीह, जिला–कोरिया	420	192	190	382
11	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़, जिला–बीजापुर	360	168	165	333
12	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला, जिला–कोरबा	360	176	179	355
13	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बेसोली (भानपुरी), जिला–जगदलपुर	240	120	120	240
14	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डोंगरिया, जिला–बिलासपुर	180	90	90	180
15	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मर्दापाल, जिला–कोण्ड़ागांव	180	90	90	180
16	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा, जिला–नारायणपुर	180	90	90	180
17	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पथरीडीही (हटकेशर), जिला–धमतरी	120	60	60	120
18	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, केसोडर दर्रापारा, जिला–गरियाबंद	120	60	60	120
19	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डोंडी, जिला–बालोद	120	60	60	120
20	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बलदाकछार, जिला–बलौदाबाजार	120	60	60	120
21	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, महाराजगंज, जिला–बलरामपुर	120	60	60	120
22	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पलारी खुर्द, जिला–जॉजगीर	120	60	60	120
23	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरी, जिला–महासमुन्द	120	60	60	120
24	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुकमा, जिला– सुकमा	120	60	60	120
25	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, लोरमी, जिला–मुंगेली	120	60	60	120
		6780	**3942**	**2430**	**6372**

शिक्षण सत्र 2017-18 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम

कक्षा	दर्ज	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय	उत्तीर्ण का प्रतिशत
10वीं	632	626	506	105	4	98.24
12वीं	399	395	257	99	10	92.65

वर्ष 2017-18 में IIT JEE में 27 विद्यार्थियों ने तथा NEET में 10 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल करते हुए उच्च स्तरीय संस्थानों में प्रवेशित हुए है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खेल प्रतिभाओं में अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर 02 एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी 14 पदक अर्जित किए है।

क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 19 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 1900 सीट स्वीकृत है तथा वर्ष 2018-19 में 1581 छात्र-छात्राएं क्रीड़ा परिसरों में प्रवेशित हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरन्तर अध्ययनशील हैं।

क्रीड़ा परिसरों का विवरण निम्नानुसार है :-

कमांक	कीड़ा परिसर का नाम
1	2
1	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, डौंडी जिला बालोद
2	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, जिला गरियाबंद,
3	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा, जिला जगदलपुर
4	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर,नारायणपुर
5	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, जिला जशपुर
6	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जिला जशपुर
7	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, पेण्ड्रोड, जिला बिलासपुर
8	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
9	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, चौकी, जिला राजनांदगांव
10	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़
11	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जिला कांकेर
12	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जिला सरगुजा
13	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, वाड्रफनगर जिला बलरामपुर
14	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर जिला जगदलपुर
15	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर भानपुरी जिला बस्तर
16	अनुसूचित जाति बालक क्रीड़ा परिसर जिला मुंगेली
17	अनुसूचित जाति कन्या क्रीड़ा परिसर हसौद जिला जांजगीर–चांपा
18	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर जिला रायपुर
19	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर जिला बिलासपुर

अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :-

➢ अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2018-19 में प्रावधान निम्नानुसार है :-

अनुदान प्राप्त संस्थाएँ	प्रावधान (लाखों में)	जारी आबंटन (लाखों में)
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान		
अनुसूचित जनजाति	1500.00	647.65
अनुसूचित जाति	135.50	100.30

स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान :-

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण/उत्थान हेतु संचालित प्रवृत्तियों/गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात् वर्ष 2018-19 में भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति कि लिए प्रेषित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :-

भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित अनुसूचित जनजाति संवर्ग के प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	04 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव	94,85,090/-

नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा योजना -

यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी हैं । योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा दिये जाने का लक्ष्य हैं।

हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट -

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गयी है। वर्ष 2013–14 में योजना में संशोधन किया गया हैं, जिसके तहत् **''हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट''** में डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्रमशः

क्रं.	वर्ष	वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या		योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
5	2013–14	10	10	20
6	2014–15	43	17	60
7	2015–16	0	0	0
9	2016–17	49	50	99
9	2017–18	51	25	76
10	2018–19	34	28	62
	योग	187	130	317

प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों में से कुल 108 अभ्यर्थियों को जॉब प्लेसमेंट दिया जा चुका है।

निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना -

योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गयी । वर्षवार प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्रं.	वर्ष	वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या		योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	2009–10	110	158	268
2	2010–11	133	200	333
3	2011–12	133	300	433
4	2012–13	155	345	500
5	2013–14	33	33	66
6	2014–15	6	6	12
7	2015–16	33	33	66
9	2016–17	66	66	132
9	2017–18	66	66	132
10	2018–19	66	66	132
	योग	801	1273	2074

❖ आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत, आदिवासियों के पूजा/श्रद्धा स्थल देवगुड़ी की

मरम्मत/निर्माण, आदिवासी सांस्कृतिक दलों को वेशभूषा एवं वाद्य यंत्र क्रय हेतु व्यैक्तिक अनुदान, शहीद वीर नारायण सिंह , डॉ0 भंवर सिंह पोर्ते पुरस्कार, शहीद वीर नारायण सिंह (आदिवासी) लोक कला महोत्सव, राज्य के पो0 मै0 छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह के स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनांतर्गत कुल राशि रू0 809.00 लाख का बजट प्रावधान हैं ।

रविदास चर्मशिल्प योजना :-

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू0 30.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है। जिलों द्वारा निविदा आमंत्रित कर मोची पेटी औजार सहित क्रय कर हितग्रहियों को वितरण की कार्यवाही की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत राहत योजना :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 तथाअनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधित नियम 2016 लागू किया गया है।

छ.ग. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता 12(4) के अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :-

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए : (i) क्रम संख्या (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्या (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है, तब 50 प्रतिशत।
2.	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)	
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)	
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न	

	घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ)	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)	लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च.)	खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	बेगार यो अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
9.	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ.)	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)	50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट)	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
14.	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की धारा 3 (1)(ढ़)	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ण)	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।

18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध)	
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न)	
21.	शत्रुता, घृणा से वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प)	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है चार लाख पंद्रह

		हजार रूपए। (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

	आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के के पश्चात 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध

		किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(भ)	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

	(1)(म)	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बाधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।

		(ii)	50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
		(iii)	25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)	(आ)	सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i)	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।
		(ii)	50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
		(iii)	25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)	(इ)	अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i)	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।
		(ii)	50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा

			जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई)	किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के खूलक लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3(1) (यक)(ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ)	कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3(1) (यक)(उ)	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख)	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा3(1)(यग)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3 (2)(i) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2)	पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा

		दोषसिद्ध किए जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा कि ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अं)	पीड़ितों और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरकार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/ 97-एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अन्तर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है। (क) शत-प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है	पीड़ित को चार लाख पच्चास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार

	किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख पच्चास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375	पीड़ित को पांच लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत.
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

		(i) शव परीक्षण के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती की पीड़ितो को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : (ii) पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोशित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा, (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुँचाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 बनाया गया है। इस नियम के अन्तर्गत आकस्मिकता योजना नियम-1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140% से 166% तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200% वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न

अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2017-18 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के कुल 1211 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2018-19 में माह सितम्बर 2018 की स्थिति में 592 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत् बनाए गए अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्यवन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंद्ध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित है तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2018 में उक्त समिति की बैठक 1 जुलाई 2018 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया गया है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 जिलों यथा जिला- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुन्द, जांजगीर एवं कोरबा में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष 14 जिलों में क्रमशः धमतरी, कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष न्यायालय 11 जिलों में यथा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया एवं रायगढ़ में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों में विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजानाएँ हैं, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती है।

राहत एवं पुनर्वास सहायता :-

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवंटन राशि रु. 244.96 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है। छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रं. 208/02357/वित्त/बजट-4/2016 दिनांक 26/05/2016 के द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि. 1989 के अंतर्गत पीड़ित को राहत राशि के देयक बजट आबंटन के आभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश जारी किए गए।

अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर :-

अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सद्भावना शिविर का आयोजन 02 अक्टूबर देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महापुरुषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयोजन हेतु वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवंटन राशि रु. 13.78 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना :-

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत 13 अप्रेल 2018 से प्रति दंपत्ति रुपए 2,50,000/- पुरस्कार की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2018-19 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु प्राप्त आवंटन राशि रु. 26.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है। वित्त विभाग छ.ग. शासन, के पत्र क्रं. 1274/02357/वित्त/बजट-4/2015 दिनांक 26/12/2015 के द्वारा अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के देयक बजट आबंटन के आभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति राहत योजना :-

- विपत्ति किसी को बताकर नहीं आती। जब आती है तो गरीब एवं असहाय लोगों को और दुर्बल बना देती है। ऐसी विपत्ति के समय पर प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विगत 2016-17 से निम्नानुसार व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया :-

क्रमांक	वर्ष	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	2016-17	20.98 लाख	716 व्यक्ति
2	2017-18	36.85 लाख	1489 व्यक्ति
3	2018-19 (दिसंबर की स्थिति में)	13.04 लाख	626 व्यक्ति

मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें से दिसंबर 2015 तक 3184 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। शेष अस्वच्छ शौचालयों को मार्च 2015 तक स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। छ0ग0 राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाए गए थे जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छ0ग0 राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :-

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनांतर्गत छ0ग0 राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर-चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा - आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर विकास किया जाएगा। उक्त योजनांतर्गत कुल राशि रु. 8125.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है, जिसका पुनर्रावंटन संबंधित जिलों को किया जा चुका है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत द्वितीय सोपान द्वारा छ.ग. राज्य के 19 जिलों के 70 नवीन ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

सम्मान एवं पुरस्कार :-

छ0ग0शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व0 डॉ0 भंवर सिंह पोर्ते एवं गुरूघासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

✓ शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रू0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

✓ **स्व0 डॉ0 भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :–**

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृश्ठ कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

✓ **गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार :–**

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है।

✓ **स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार :–** उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्य रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने की दृष्टि से 2.00 लाख रू. के स्व. हाजी हसन अली राज्य स्तरीय पुरस्कार की स्थापना की गई है।

✓ **डॉ0 भीमराव अंबेडकर जयंती योजना :–**

वर्ष 2018–19 विभागीय स्तर पर 14 अप्रैल 2018 को जिला मुख्यालय रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

लोक कला महोत्सव :-

1. शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदा बाजार में किया जाता है । इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।

- प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख ,द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 25 हजार दिया जाता है।
- उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

2.गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव :–

- वित्तीय वर्ष 2007–08 से ''गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव'' का आयोजन किया जा रहा है।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे –पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 75 हजार तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 50 हजार पुरस्कार दिये जाते है।

➢ गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोक कला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी संस्कृतिक दलों को सहायता:-

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू. 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है।

क्रं.	वर्ष	सॉस्कृतिक दलों की संख्या	प्रदत्त राशि (लाख में)
1	2010-11	500	50.00
2	2011-12	740	89.00
3	2012-13	735	73.50
4	2013-14	735	73.50
5	2014-15	730	73.00
6	2015-16	730	73.67
7	2016-17	730	73.00
8	2017-18	730	73.00
9	**2018-19**	730	73.00

अनुसूचित जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत गुरूघासीदास पुरस्कार, गुरूघासीदास (अनुसूचित जाति) लोक कला महोत्सव, डॉ0 भीमराव अंबेडकर जयंती योजना, अनुसूचित जाति पो0मै0 छात्रावासों में गुरूघासीदास कार्यक्रम का आयोजन योजनाएं संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू0 57.50 लाख का बजट प्रावधान है।

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत :-

❖ देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत हेतु वर्ष 2017–18 से प्रति देवगुड़ी राशि रू0 1,00000/– रूपये उपलब्ध करायी जाती हैं। योजनान्तर्गत विगत वर्षो से वर्ष 2018–19 तक देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत हेतु निम्नानुसार आबंटन जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

क्रं.	वर्ष	देवगुड़ी की संख्या	प्रदत्त राशि (लाख में)
1	2012-13	732	366.00
2	2013-14	750	375.00
3	2014-15	600	300.00
4	2015-16	565	282.00
5	2016-17	600	210.00
6	2017-18	400	400.00
7	2018-19	359	359.00

विश्व आदिवासी दिवस :–

वर्ष 2018-19 में दिनांक 9 अगस्त 2018 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में '' विश्व आदिवासी दिवस''का आयोजन किया गया । इस अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये आदिवासी कलाकारों के द्वारा परंपरागत लोक नृत्य की आकर्षक और मोहक प्रस्तुति दी गई।

लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए आदिवासी कलाकार

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर से आर्थिक सहायता प्राप्त

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक-2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक-04 सन्-2000) के अन्तर्गत किया गया है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जाति के 05 एवं अनुसूचित जनजाति के 11 केन्द्र संचालित है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर से आर्थिक सहायता प्राप्त

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ एवं प्रगति विवरण 2018-19

(राशि लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि हितग्राही	वित्तीय उपलब्धि दिसम्बर-2018
1.	राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना	02	2.90
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना	37	161.63
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना	09	9.00
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना	44	107.00
5.	राष्ट्रीय एवं अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा संचालित योजना	01	5.48
6.	अन्त्योदय स्वरोजगार योजना	992	99.00
7.	आदिवासी स्वरोजगार योजना	739	73.90
8.	मिनीमाता स्वावलंबन योजना	740	1114.54
9.	शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना	1148	1712.14
10.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) (अनुसूचित जनजाति वर्ग)	595	89.25
11.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) (अनुसूचित जाति वर्ग)	243	36.45
	योग -	**4550**	**3411.29**

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से संबंधित ग्राम/वन भूमि में निवासरत होना भी आवश्यक है।

राज्य में 30.09.2018 तक वन अधिकार के व्यक्तिगत दावों हेतु कुल 8,58,682 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4,02,351 दावे स्वीकृत कर 4,01,251 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि निरस्त/अस्वीकृत व्यक्तिगत दावों की संख्या 4,61,590 है। इसी प्रकार वन अधिकार के सामुदायिक दावों हेतु कुल 31,558 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 22,521 दावे स्वीकृत कर 21,967 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि निरस्त/अस्वीकृत दावों की संख्या 7,378 है। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के अंतर्गत कुल 3,41,191.269 हेक्टेयर भूमि तथा सामुदायिक दावों के अंतर्गत कुल 8,24,809.758 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई है।

शासन द्वारा सभी अस्वीकृत प्रकरणों को पुनर्विचार में लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप निरस्त किए गए 4,69,790 व्यक्तिगत प्रकरणों में से 4,32,263 प्रकरण पुनर्विचार में लिए गए, जिनमें से 48,616 दावे स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार निरस्त किए गए 8,095 सामुदायिक प्रकरणों में से 7,579 प्रकरण पुनर्विचार में लिए गए, जिनमें से 836 दावे स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वितरित वन अधिकार पत्रों का डिजिटाईजेशन एवं भूमि की जियो

टैंगिग (Geo Tagging) इत्यादि का कार्य चिप्स छत्तीसगढ़ रायपुर के माध्यम से कराया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार से रू. 319.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है एवं पुनः चिप्स छत्तीसगढ़ रायपुर के मांग अनुसार अतिरिक्त राशि रू. 135.49 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस तरह उक्त कार्य संपादन हेतु कुल राशि रू. 454.49 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। जिसके अनुवर्तन में चिप्स (CHIPS) छत्तीसगढ़ रायपुर के माध्यम से वन अधिकार पत्रों के डिजिटाईजेशन का कार्य प्रगति पर है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन सभी जिलो में (रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर) प्रतिबद्धतापूर्वक किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य, देश में वन अधिकार पत्र वितरण करने में अग्रणी राज्यों में से एक है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के कियान्वयन की समीक्षा/परिचर्चा

दिनांक 23.01.2019 को मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा/परिचर्चा छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम, सेक्टर 19, अटल नगर, रायपुर में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित की गई।

बैठक में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस अधिनियम में कोई नये अधिकार देने की बात नहीं की गई है, बल्कि वे अधिकार जो परंपरागत रूप से पहले से हैं, उन्हीं अधिकारों को इस अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। वन अधिकार अधिनियम क्रियान्वित 24 जिलों के लगभग 12,000 गांवों में मात्र लगभग 21,000 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का ही वितरण अभी तक किया जा सका है। अतः इसमें गति लाने हेतु सामुदायिक वन अधिकार विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार के संबंध में जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सिविल सोसाईटी, सरकार एवं अशासकीय संस्थाओं को मिलकर कार्य करने हेतु आह्वान किया गया। वन अधिकार अधिनियम को अभियान की तरह लिया जाए परंतु पर्याप्त समय देते हुए त्रुटिरहित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि अनेक क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि 02 एकड़ पर कब्जे का दावा किया गया है, लेकिन वन अधिकार पत्र केवल 50 डिसमिल का मिला है। उनके द्वारा सामुदायिक दावों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया को बदलने हेतु जोर दिया और उन्होंने कहा कि जंगल बचाने का कार्य जंगल के लोग ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर समुदाय द्वारा सामुदायिक दावा नहीं किया गया है, तो उसे अभी भी लिया जा सकता है। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा स्वप्रेरणा से आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम, उपखंड एवं जिला स्तर की समितियों का यथाशीघ्र पुनर्गठन होना चाहिए ताकि लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। राज्य स्तर पर प्राप्त आंकड़ों का जमीनी स्तर से मिलान होना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित तिथि 13.12.2005 के एक दिन पहले का भी यदि कब्जा है, तो उसे अधिकार दिया जाए। ओटीएफडी के मामले में तीन पीढ़ियों से निवास करने का साक्ष्य लिया जाए न कि कब्जे का इसका ध्यान रखा जाए। निरस्त प्रकरणों के पुनः पुनर्विचार संबंधी कार्य में सिविल सोसाईटी का भी सहयोग लिया जाये ताकि बेहतर समन्वय से अच्छा कार्य हो सके एवं सभी वन निवासी पात्रतानुसार अपने वास्तविक परंपरागत हक को वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकें।

बैठक को मान. मंत्री, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मान. मंत्री, छ.ग. शासन, वन विभाग, श्री पी. व्ही. राजगोपाल, अध्यक्ष, एकता परिषद, एवं अपर मुख्य सचिव, वन विभाग द्वारा संबोधित

करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। परिचर्चा में शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर्स, वनमंडलाधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सिविल सोसाईटी तथा अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर सभी संबंधित विभागों द्वारा एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

वन अधिकार के संबंध में फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ विकासखंड कसडोल में वर्कशॉप का आयोजन (दिनांक 17-01-2019)

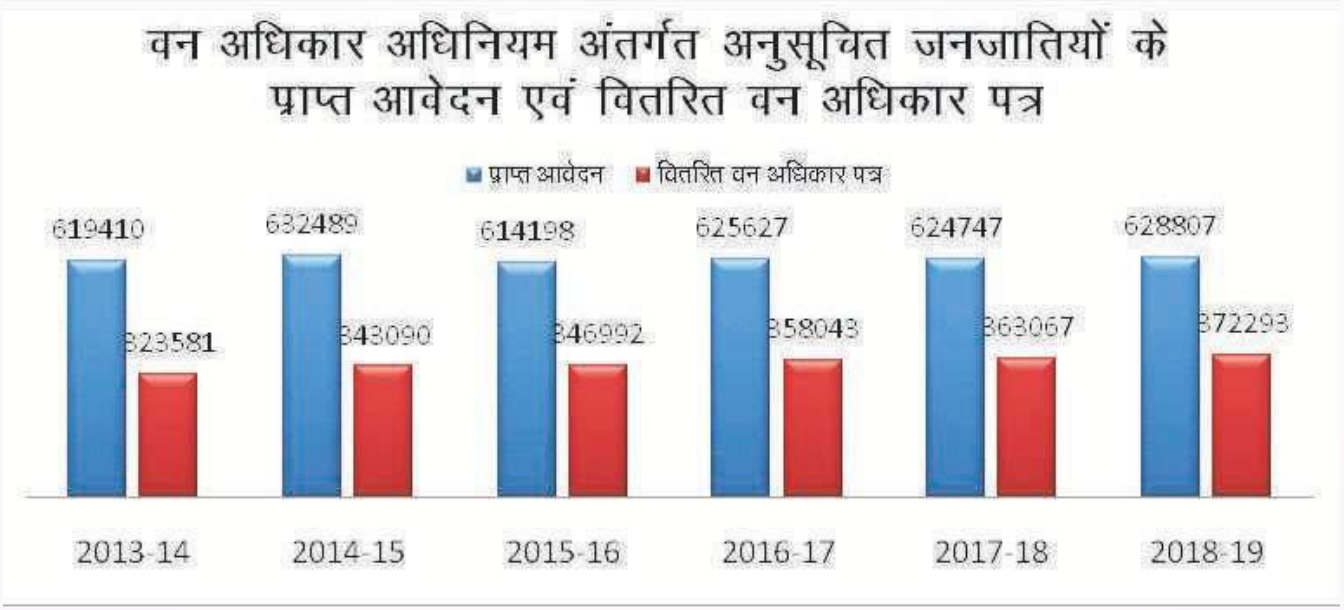

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

---------*---------

अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जनजाति उपयोजना -

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य है :-

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :-

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गो के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे - कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक बजट में राशि रु. 18950.15 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक बजट में कुल राशि रु. 6687.63 करोड़ के अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

----------*----------

भाग - चार

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिचय –

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना **02.09.2004** को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य –

आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :–

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित कार्ययोजना के तारतम्य में दिनांक 30.11.2018 तक संपादित किये गये कार्यों की बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है –

मानवशास्त्रीय अध्ययन –

1. बैगा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
2. मझवार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

नृजातीय अध्ययन –

1. बिरझिया जाति का नृजातीय अध्ययन
2. बियार/ब्यार जनजाति का नृजातीय अध्ययन

बांस की टोकरी बनाती कमार महिला

परंपरागत तरीके से अनाज सुखाती आदिवासी महिला

परंपरागत वेशभूषा में आदिवासी महिला

मोनोग्राफिक अध्ययन –

1. कंवर जनजाति का प्रथागत कानून

भाषा–बोली एवं शब्दकोष –

1. हिन्दी–खड़िया शब्दकोष
2. खड़िया बोली में वार्तालाप संक्षेपिका
3. बैगानी बोली में वार्तालाप संक्षेपिका
4. हिन्दी–धुरवी शब्दकोष एवं वार्तालाप संक्षेपिका

जनजातीय बोलियों में वर्णमाला –

1. हिन्दी–हल्बी वर्णमाला
2. कुडुख बोली का हिन्दी भाषा में अल्फाबेट चार्ट

प्रकाशन –

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के प्रमुख जनजातीय समुदायों में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को जनसामान्य में सामान्य भाषा में समझाने एवं प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से गोंडी, हल्बी, भतरी, कुडुख, सादरी, खड़िया एवं बैगानी बोलियों में लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई।

मूल्यांकन अध्ययन –

विकास प्राधिकरणों के द्वारा असाध्य पंपों के ऊर्जीकरण हेतु दी गई स्वीकृतियों के फलस्वरूप कोरबा, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिले के हितग्राही किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं जीवनयापन स्तर में हुए बदलाव का मूल्यांकन प्रतिवेदन।

प्रशिक्षण –

बस्तर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव जिले में विभिन्न विभागों के अमले, जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के मात्रात्मक/वर्तनी त्रुटि सुधार संबंधी छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश, राज्य में लागू वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में एवं भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की मंशानुरूप बस्तर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय पोषण माह अन्तर्गत सितम्बर माह में स्वास्थ्य–पोषण एवं स्वच्छता के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 750 प्रतिभागियों की सहभागिता रही।

विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) –

संस्थान द्वारा राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर के 48549 परिवारों के आधारभूत सर्वेक्षण उपरांत सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई जानकारियों का अनुसूचियों से मिलान संबंधी कार्य प्रगति पर है। जिसमें से लगभग 15000 परिवारों की अनुसूचियों का मिलान किया जा चुका है।

विश्व आदिवासी दिवस में सहभागिता –

राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.08.2018 को आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सक्रिय सहभागिता देते हुए जनजातीय क्षेत्रों के लोक नर्तक दलों का प्रस्तुतिकरण कराया गया।

आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ0ग0 राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतु :-

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन के आदेश क्र./एफ7-5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

1. गठन एवं विस्तार :-

प्रारंभ मे बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिला बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव ही सम्मिलित किए गए थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले का नगरी, बालोद जिले का डौण्डी लोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया, साथ ही साथ राजनांदगांव जिले का ''नचनिया'', जिला कवर्धा का ''माडा'' एवं गरियाबंद जिले का क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सुरजपूर एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला) रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले की गौरेला परियोजना को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

2. उद्देश्य :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

3. बजट प्रावधान :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में पुर्ननियोजन प्रस्ताव के आधार पर लिए जाने वाले कार्यों हेतु पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल रूपये बस्तर विकास प्राधिकरण ने 3177.72 लाख विरूद्ध 3177.72 लाख, सरगुजा विकास प्राधिकरण में 3722.28 लाख विरूद्ध 3718.78 लाख की राशि जारी की गई है। इसके अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ से की जाती है। वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2018-19 (नवम्बर 2018 की स्थिति में) अंतर्गत आदिवासी विकास प्राधिकरणों हेतु प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

बस्तर एव दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष 1	प्रावधान (लाखों में) 2	पुनरावंटन/स्वीकृत (लाखों में) 3
2004-05	1300.00	1269.431
2005-06	2500.00	2500.00
2006-07	2700.00	2700.00
2007-08	4000.00	3979.456
2008-09	4000.00	3996.42
2009-10	3500.00	3436.126
2010-11	3500.00	3500.00
2011-12	5000.00	4992.08
2012-13	3700.00	3698.59
2013-14	3700.00	3687.40
2014-15	4000.00	3994.52
2015-16	3500.00	3500.00
2016-17	4379.60	4379.54
2017-18	3177.72	3177.72
2018-19	3500.00	3497.28

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष 1	प्रावधान (लाखों में) 2	पुनरावंटन/स्वीकृत (लाखों में) 3
2004-05	1300.00	1300.00
2005-06	2500.00	2417.00
2006-07	2500.00	2491.005
2007-08	3700.00	3699.996
2008-09	3500.00	3489.94
2009-10	3500.00	3436.65
2010-11	3500.00	3499.14
2011-12	3500.00	3499.70
2012-13	3800.00	3798.65
2013-14	3700.00	3699.72
2014-15	4000.00	3999.67
2015-16	3500.00	3498.73
2016-17	4853.30	4853.30
2017-18	3722.28	3718.78
2018-19	3500.00	3499.38

4. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन :-

राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र/एफ-7-9/04/ 1/06, दिनांक 23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का क्षेत्र :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिन ग्रामों, पारा, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, यहाँ कार्य लिए जाते हैं।

प्रावधान :

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किए जाते है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वर्ष 2004 से नवम्बर 2018 तक बजट प्रावधान एवं उसके विरूद्ध दी गई स्वीकृति राशि की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

वर्ष 1	प्रावधान (लाखों में) 2	पुनरावंटन/स्वीकृत (लाखों में) 3
2004-05	400.00	360.42
2005-06	2000.00	1991.994
2006-07	2000.00	2000.00
2007-08	3500.00	3498.25
2008-09	3500.00	3492.314
2009-10	3500.00	3477.174
2010-11	3500.00	3498.94
2011-12	4000.00	3976.19
2012-13	4000.00	3999.995
2013-14	3700.00	3698.72
2014-15	3700.00	3699.472
2015-16	3500.00	3499.93
2016-17	4363.60	4363.51
2017-18	3500.00	3500.00
2018-19	3500.00	3499.28

प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित नीतियों, लिए गए निर्णयों, जारी आदेश एवं निर्देश, प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं।

भाग – पांच

फ्लैगशिप योजनाएँ

युवा कॅरियर निर्माण योजना :- वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित थी। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा अयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटें स्वीकृत है, इसके माध्यम से 50 सीटें जिला रायपुर एवं 50 सीटें जिला दुर्ग में प्रशिक्षण संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेल्वे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीट्स स्वीकृत है।

अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :–

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत निम्नानुसार राशि एक मुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर स्वीकृति आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर द्वारा दी जाती है। **इस योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 01 विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है।**

ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :-

देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत् द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। इस योजना अंतर्गत कुल 50 सीट्स स्वीकृत है एवं वर्ष 2018–19 में ड्रापर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2018–19 में कुल 52 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है। अब तक कुल 56 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हुए है।

विगत 03 वर्षो में उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	अध्ययन / कोचिंग	प्रवेशित छात्र संख्या	सफलता का विवरण	
				पद नाम	संख्या
1	2015–16	यू.पी.एस.सी. / अन्य प्रतियोगी परीक्षा / उच्च शिक्षा	49	1.सब आर्डिनेट एकाउंट सर्विस–01 2.अन्य–04	05
2	2016–17	यू.पी.एस.सी. / अन्य प्रतियोगी परीक्षा / उच्च शिक्षा	59	1. यू.पी.एस.सी.–03 (IRS (IT), IRTS, IRS) 2. अन्य–16 (डिप्टी कलेक्टर, उपपुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को–ऑपरेटिव इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, सबऑर्डिनेट एकाउन्ट सर्विस ऑफिसर इत्यादि पदों पर चयनित हुए)	19
3	2017–18	यू.पी.एस.सी. / अन्य प्रतियोगी परीक्षा / उच्च शिक्षा	48	1. यू.पी.एस.सी Assistant Commandant –02 2. अन्य Deputy Collector - 03 ACF - 01 DSP - 01 Account Officer - 01	08

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना :-

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर जीवन मे स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्देश्य है। जब यह योजना 2010 में प्रारंभ हुई, उस समय बजट प्रावधान 200.00 लाख था । इस वर्ष 2018–19 में बजट प्रावधान में वृद्धि हो कर **2865.80** लाख हो गया है । इस योजना के चार घटक निम्नानुसार है :–

1. आस्था 2. निष्ठा 3. प्रयास 4. सहयोग

(1)आस्था : नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है । इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12 वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, तब 64 विद्यार्थी थे । वर्ष 2018–19 में संस्था में 261 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस योजना में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदाय की जाती है ।

(2) निष्ठा : इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता–पिता के बच्चे/पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें है। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के वर्ष 2018–19 में 127 बच्चे राजनांदगांव एवं रायपुर जिले के कुल 16 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है।

(3) प्रयास : छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री मान. डॉ. रमन सिंह के मंशानुरूप 26 जुलाई 2010 को राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में 300 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय के स्थापना की गई। उस समय 266 विद्यार्थी प्रवेशित हुए थे। प्रारंभ वर्ष में केवल एक ही प्रयास विद्यालय था । वर्तमान में 09 प्रयास विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर जिलों में संचालित है, जिसमें कुल 2958 विद्यार्थी इन विद्यालयों में अध्ययनरत है।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित विद्यार्थियों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाकर, शैक्षणिक एवं शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों द्वारा उनकी प्रतिभा का परिमार्जन कर उनके बौद्धिक स्तर को गैर जनजातीय छात्रों के समकक्ष लाना उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा जेईई (मेन/एडवांस) तथा एआईपीएमटी/नीट/पी.ई.टी./पी.एम.टी. तथा बी.ए.एम.एस. की कोचिंग प्रदान कर इन बच्चों को स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफलता प्राप्त करने के योग्य बनाना है। इन्हीं बातों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उक्त विद्यालय की स्थापना की गई है।

प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना से अब तक 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :–

प्रयास आवासीय विद्यालय की दर्ज संख्या वर्ष 2017-18

सत्र/वर्ष	संस्था का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	परीक्षा परिणाम प्रतिशत में
2012	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	250	171	75	04	100%
2013	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	137	134	03	--	100%
2014	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	272	225	40	01	98%
2015	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर	408	390	17	01	100%
2016	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	725	646	78	01	100%
2017	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	690	624	57	04	99.27%
2018	प्रयास बालक/बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	701	653	43	01	99.43%

उपरोक्त परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त सत्र 2012 से अब तक इंजीनियरिंग/मेडिकल की विभिन्न परीक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	बैच	एनआईटी/समकक्ष में प्रवेशित	आईआईटी/समकक्ष में प्रवेशित	इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित	चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेशित
2010-12	प्रथम बैच	12	02	130	-
2011-13	द्वितीय बैच	20	01	45	01
2012-14	तृतीय बैच	08	0	81	03
2013-2015	चतुर्थ बैच	07	06	84	03
2014-2016	पंचम बैच	30	06	92	12
2015-17	छठवा बैच	40	08	96	08
2016-18	सप्तम बैच	17	18	85	-
योग		**134**	**41**	**613**	**27**

प्रयास आवासीय विद्यालय में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं एवं प्रबंधकीय व्यवस्था यथा– भवन, प्रांगण, आवास, मेस व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा कम्प्यूटर लैब इत्यादि की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। जबकि अध्यापन तथा कोचिंग व्यवस्था की पूर्ति आऊट–सोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। विद्यार्थियों को आवास, भोजन, गणवेश तथा अध्ययन एवं कोचिंग की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है।

प्रयास विद्यालय की सफलता को देखते हुए वर्ष 2017–18 से निम्नानुसार कार्य भी संपादित किये जा रहे हैं :–

- प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में **वाणिज्य(सीए/सीएस)** संकाय हेतु 30 सीटर प्रारंभ किया गया है । इसी तरह प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में बालिकाओं हेतु 30 सीटर **विधि(क्लेट)** हेतु प्रारंभ किया गया है।
- प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर में 250–250 सीटर फाउण्डेशन (फीडर) प्रयास कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु प्रारंभ किया जा चुका है।
- प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर को अपग्रेड कर वहां कक्षा 11वीं प्रारंभ किया गया है।
- प्रयास विद्यालय के आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को 40 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप आगामी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिया जाता है।
- आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटॉप (एप्पल का मैकबुक) प्रदान किया जाता है।

(4) सहयोग : मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने–जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

लाभान्वित जिले : इस योजनांतर्गत कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा जिले के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। (प्रयास योजना नियम 2017 के अनुसार)

आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना :-

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षकों के पद रिक्त रह जाते हैं, क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इस वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500-500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षकों की पूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटें है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटें है। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थी, जिन्होंने स्नातक-स्नाकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदो पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है।

उक्त योजना अंतर्गत 500 सीटर बालिका शिक्षण केन्द्र दुर्ग जिला मुख्यालय में 2013-14 में प्रारंभ किया गया है। इसमें वर्ष 2018-19 में 392 बालिकाएं प्रवेशित है तथा विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र जगदलपुर (बालक) में 100 छात्र प्रवेशित है। वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 198.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या), जिला– दुर्ग एवं (बालक) जिला– जगदलपुर									
क्र	जिला	वर्ष	नवीन प्रवेशित (प्रथम वर्ष)		नवीनीकरण की संख्या		कुल अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या	अध्यापन हेतु चयनित संस्था का नाम	परीक्षा परिणाम
			छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दुर्ग/जगदलपुर	2018–19	50	92	50	300	492	1.शास. विश्वनाथ तामस्कर स्वशासी कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग –209 2.शा. डॉ. वा.वा. पाटण्कर कन्या महाविद्यालय दुर्ग–84 3.महिला महाविद्यालय भिलाई–19 4.सेंटथॉमस महाविद्यालय भिलाई –22 5.कल्याण महाविद्यालय भिलाई –8 6.शास. वैशाली नगर महाविद्यालय–9 7.शास. नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार –10 8. शास. महाविद्यालय उतई – 6 9. खालसा महाविद्यालय –07 10.रूगंटा विश्वविद्यालय–7 11. अपोलो महाविद्या. – 11 12.शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर –100	

जिला :– दुर्ग

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	रिपीटर्स	योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी	एम.कॉम			
78	109	44	105	06	25	25	392

जिला :– जगदलपुर

स्नातक			योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	
20	49	31	100

आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा :-

आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 सीटर छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 13 छात्रावास तथा द्वितीय चरण में 15 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

वन बन्धु कल्याण योजना :-

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्रह विकास के उद्देश्य से 'वनबंधु कल्याण योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष 2014–15 में कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू.1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। योजनांतर्गत विकासखंड कोण्डागांव के लिये कौशल प्रशिक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएं, विद्यालयो में शैक्षणिक सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में सेनेटरी नैपकीन वेंडिग मशीन और भस्मक मशीन, आर.सी.सी. पुलिया निर्माण, टसर धागाकरण युनिट की स्थापना तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराये गये है। वर्ष 2015–16 में राशि रू.1384.50 लाख भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत है। योजना अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाएं भी शामिल है, को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के लिये 06 आश्रम भवन क्रमशः कन्या आश्रम बीजापुर, कन्या आश्रम दंतेवाड़ा एवं अबूझमाडिया कन्या आश्रम, नारायणपुर, भुजिया कन्या आश्रम गरियाबंद तथा पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम बलरामपुर के लिये स्वीकृति प्रदान कर राशि रू.1273.44 लाख प्रदाय की गई है। आश्रम भवनों के निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम :-

प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पण्डो एवं भुंजिया को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा इनके समेकित विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री के 11 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नवंबर 2015 में किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के आधारभूत सर्वेक्षण के अनन्तिम आंकडों के अनुसार इन जनजाति समूहों की जनसंख्या 223998 है तथा परिवार संख्या 57432 है। जो 16 जिलों के 2101 ग्रामों में निवास करती है। इस कार्यक्रम को विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण (Convergence) के माध्यम से संचालित किया गया है। 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व जिलों में 11 सूत्रों की मैपिंग में पाये गये वंचित हितग्राहियों को इस कार्यक्रम का लक्ष्य माना गया है। 11 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाओं की माह अक्टूबर 2018 की स्थिति में सूत्रवार प्रगति निम्नानुसार है :–

1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास :–

इस योजना के अंतर्गत आवासहीन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक कुल 57432 परिवारों में से 32075 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 25357 शेष परिवारों में से पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता :–

इस योजना के अंतर्गत पेयजल विहीन ग्रा मों में प्रत्येक ग्राम में 02 हैण्डपंप स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। 2386 ग्रामों/बसाहटों में से अब तक 2242 (94 प्रतिशत) बसाहटों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया है।

3. विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण :–

इस योजना के अंतर्गत विद्युत विहीन ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। अब तक 1596 ग्रामों/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं क्रेडा के माध्यम से किया जा रहा है।

4. स्वास्थ्य परीक्षण :–

इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण तथा हेल्थ कार्ड / स्मार्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। हितग्राहियों की संख्या 2.23 लाख से अधिक है। अब तक 147439 हितग्रहियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है और 39723 स्मार्ट कार्ड एवं 126860 हेल्थ कार्ड तैयार किये जाकर वितरित किये जा चुके हैं। योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना :–

इस योजना के अंतर्गत 57432 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब तक 46722

परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका हैं। इस योजना का संचालन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है।

6. 0 से 06 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना :–

0 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को निःशुल्क पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अब तक 50308 लाभार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

7. कौशल उन्नयनः–

इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 01 व्यक्ति के मान से 57432 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करने प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। अब तक 7220 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा शेष हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

8. सामाजिक सुरक्षा :–

इस योजना के अंतर्गत 57432 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य है। इसमे बीमा योजना, जनधन योजना तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाएँ शामिल हैं। अब तक 47282 परिवार जनधन योजना से तथा 48313 परिवार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित हुए हैं।

9. वन अधिकार पत्र का वितरण :–

इस योजना के अंतर्गत 2101 ग्रामों के लगभग 57432 हितग्राही परिवारो को पात्रतानुसार वन अधिकार पत्र का वितरण किया जा रहा है। अब तक 20124 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 980 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका हैं। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व एवं वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण :–

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 223998 हितग्राहियों को निःशुल्क जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक योजना अंतर्गत 34170 जाति प्रमाण पत्र एवं 35266 निवास प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व/शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कंबल प्रदाय :–

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के 57432 परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक रेडियो, छाता एवं कंबल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 50678 परिवारों को रेडियो तथा 50676 परिवारों को छाता का वितरण किया जा चुका है एवं 44433 परिवारों को 88866 कम्बलों का वितरण

वन विभाग (कैम्पा) के माध्यम से किया गया है। शेष परिवारों को रेडियो, कम्बल एवं छाता प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित प्रदेश के सभी छात्रावास-आश्रम में 'खाद्यान्न सुरक्षा योजना' लागू की गई है।

मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम :-

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए 'मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखंड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

---------*---------

ਭਾਗ – ਛ:

सारांश

संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ठ संस्थाओं के रूप में क्रीडा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र-छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर में भी '**प्रयास**' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में तीन प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण

करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। विकास की इस यात्रा में हम चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।

---------*---------

आदर्श पोस्ट मैट्रिक परियोजना कन्या छात्रावास की छात्राएँ

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवनिर्मित भवन एवं संग्रहालय